

जन हितैषी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करे, सरकार

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला 6:1 से सामने आया है। छह जजों की खंडपीठ ने कहा है, आरक्षित कोटे में से पिछड़े वर्ग के आधार पर जातियों के आधार पर कोटा खर किए जाने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग में अभी 8 लाख वार्षिक की आय सीमा लागू है। एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, जातियों के अंदर उपजातियां की कैटेगरी बनाने में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। जिन परिवारों और जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हक नहीं मिलना चाहिए। सभी वर्ग के आरक्षण में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।केंद्र एवं राज्य सरकारों को आय की सीमा को आधार बनाकर आरक्षण लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ और मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। यदि ऐसा करती हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने २004 में दिए गए अपने फैसले को बदल दिया है। जिसमें कहा गया था, राज्य सरकार आरक्षित कोटे में सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश से अब राज्य सरकारें एससी, एसटी कोटे में पिछड़े वर्ग के आधार पर सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की देशभर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। बिहार की लोजपा ने इसका विरोध करते हुए पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों और पिछड़ी उपजातियां का सर्वेक्षण करकर आरक्षण व्यवस्था का युक्तिकरण किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्यों को अब यह अधिकार मिल गया है। वह आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण लागू कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब राज्यों के ऊपर है। वह जल्द से जल्द आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अभी तक आरक्षण के लाभ से जो लोग वंचित हैं। उन्हें आरक्षण दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्यों को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रखी थी। सात सदस्यों की बेंच ने जो आदेश दिया है। उसके बाद कई आरक्षण व्यवस्था में सभी वंचित वर्ग को इसका लाभ सभी वर्ग को हासिल हो। इसके लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और इंदिरा गढबंडन के दल केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। 2०21 की जनगणना पिछले 4 वर्षों से लंबित सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार जनगणना करने समय इन्हें तीन विधियों पर जनगणना करायेगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग की भी जानकारी सामने आ जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों इन आंकड़ों के आधार पर योजना बना सकेगी। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करने के लिए विपक्ष की मांग पर अभी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार पर अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। एक आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है, केन्द्र सरकार जाति जनगणना करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यों को अधिकार होगा, कि वह सर्वे के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर डाटा एकत्रित करें। आरक्षण को लेकर जो बवाल सारे देश में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों में भी सहमति बना संभव हो गया है। 1९8५ के बाद जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। उसके जबाब में मंडल कमीशन को सामने लाया गया। वोटों की राजनीति मे कांग्रेस अलग-अलग पड़ गई थी। जिसका फायदा 1९८9 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों को पिछले ३0 वर्षों में राजनैतिक रूप में मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है। यदि यह ठीक भावना के साथ लागू कर दिया जाता है, तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था विभिन्न राज्यों में लागू की जा सकती है। हजारों वर्षों से दबे-कुचले और गुलामी के शिकार पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के गरिब लोगों को भी सरकार न्याय दे सकती हैं। जो उन्हें संविधान के अनुसार मिलना जरूरी है। समय परिवर्तन के साथ निर्णय और सोच भी बदलती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रार्थमिकता से मिल सकेगा। आरक्षण नियमों में पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी आरक्षण का लाभ एक बार मिलना है, या कई पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। इस विवाद का भी समाधान करने का मौका सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मिल गया है। संविधान के 75 वर्षे पूर्ण हो जाने के बाद सभी वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिले। इसके लिए इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए।

तो अब अदालत को भी पलटने का हक

आरक्षण के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को लेकर नाना-प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग और राजनीतिक दल इस फैसले से खुश हैं तो कुछ नाखुश ,क्योंकि अदालत ने अपने डेढ़ दशक पुराने फैसले को पलटते हुए कोटे के भीतर आरक्षण कोटा तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है ,शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ,भाजपा और कुछ अन्य दलों के एजेंडों पर कुटाघात है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर है।

हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आजादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झूल रहा है या कहिये पिस रहा है। कुछ लोग और दल चाहते हैं कि अब देश में जाति और और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये क्योंकि ये दोनों ही बराबरी और विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक बराबरी न आ जाये तब तक जाती का तो पता नहीं किन्तु आरक्षण को बनानये रखना चाहिए।जाती को लेकर हमारे समाज की मान्यताएं भी भिन्न हैं। कोई कहता है कि जाति न पूछो साधू की ,पूछ लीजिये जान ,तो कोई कहता है जाति-पातं पूछे नहीं कोई,हरि की भजे सो हरि को होया। इसके बाद भी हमारी संसद में आज भी जाति पूछी जाती है और निर्ममता से पूछी जाती है।

बात एकदम ताजा है। शीर्ष अदालत ड सुप्रीम कोर्ट ,ने २0०4 के इंबी चित्रैया केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को अजा-अजडा कैटेगरी में सब-क्लासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा दे बंध दिखाना होगा कि उस वर्ग का अर्थार्थन प्रतिनिधित्व है। जस्टिस वी. आर. गवई समेत चार जजों ने यह भी कहा कि अजा-अजजा कैटेगरी में भी क्रीमीलाय का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी में लागू है।सात जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का फैसला अलग था।

अब सवाल ये है कि क्या नेताओं

की तरह अदालतें भी अपने फैसले समयानुसार बदल सकती हैं ? मेरे हिसाब से बिल्कुल बदल सकती हैं ,क्योंकि फैसले व्यक्त करते हैं ,मशीनें नहीं। यदि शीर्ष अदालतों में फैसले पुराने फैसले को पलटने के बजाये लेकिन अब अपने ही फैसले न बदलतीं लेकिन जब व्यक्ति फैसले करते हैं तो उन्हें फैसले बदलने का हक है । क्योंकि कोई भी फैसला समीक्षा के योग्य होता है और सी फीसदी सही नहीं होता। उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अर्थात फैसले बदलने का हक केवल इस देश के नेताओं को ही नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलतीं है। क्रांनुन और साक्ष्य तथा तर्क-वितर्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

याद कीजिये कि यही मामला जब पहले शीर्ष अदालत में आया था तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब-क्लासिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है।लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने छह जजों से असहमत जताई। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली सात जजों की बेंच ने कहा है कि अनुसूचित जाती के सब-क्लासिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद-३41 (२) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद-1५ और 1६ में ऐसा कोई प्राधान्य नहीं है जो राज्यों को रिजर्वेशन के लिए जाति में सब-क्लासिफिकेशन से रोकता है।

सुप्रीम कोर्ट यानि शीर्ष अदालत शीर्ष ही होती है । जो बहुत सोच-विचार के बाद बहुमत से फैसले करती है । सुप्रीम कोर्ट में बहुमत चलता है ,ध्वनिमत नहीं। सबको अपने फैसले का अधिकार है । सहमति के साथ ही असहमति का भी सम्मान किया जाता है। भले ही असहमति को सहमति के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। फैसले करने का ये लोकतंत्र यदि हमारी संसद में भी हो तो न कोई किसी की जाति पूछे और न कोई किसी पर आछें तरे। लोकतंत्र बहुमत से चलता है तानाशाही से नहीं।

शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला बदलने में पूरे बीस साल का समय

ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था । ये वर्ण थे : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ब्राह्मण का मुख्य कार्य पूजा-पाठ एवं अध्ययन-अध्यापन तथा दान लेना इत्यादि था। क्षत्रिय मुख्य रूप से योद्धा वर्ग था जो प्रशासन का कार्य देखते थे। वैश्य कृषि व्यापार- वाणिज्य इत्यादि से संबंधित कार्य करते थे और शूद्र सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। समाज का यह वर्गीकरण अनुवांशिक ना होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था । उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्णाश्रम व्यवस्था अपने सबसे मजबूत स्वरूप में आ गई। इसी काल में गोत्र की अवधारणा भी उजागर हुई। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कड़े जाने लगे। मौलिक रूप से गोत्रों की संख्या 7 बताई है- कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, एवं विश्वामित्र।अमस्त को आठवां गोत्र माना जाता है। इस युग की दूसरी विशेषता थी ‘‘आश्रम व्यवस्था’’।आश्रम व्यवस्था का चरण बताए गए हैं : पहला, ब्रह्मचर्य -जन्म से २5 वर्ष तक। यह विद्या- अर्जन एवं बौद्धिक विकास से संबंधित था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम, जो २5 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। इस दौरान व्यक्ति द्वारा उत्तरदायित्व का वाहन किया जाता था। तीसरा, वानप्रस्थाश्रम -50 से 7५ वर्ष तक था। यह पारलौकिक जीवन से संबंधित था एवं अंतिम चरण सन्यास था जो 7५ वर्ष के उपरांत का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य संसार का त्याग कर एक सन्यासी जीवन व्यतीत करता था।इस युग में लोगों द्वारा व्यवसाय चुने जाने का आधार अपनी योग्यता तथा पसंद था , न कि जन्म या

आनुवंशिक रूप से, जैसे कि आज चलकर अपनाए जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोगों द्वारा इच्छानुसार अलग-अलग पेशा या व्यवसाय अपनाए जाने के उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि ऋग्वेद के सूक्त 9. 112 में एक व्यक्ति कहता है : ‘‘ मैं कवि/गायक हूँ, मेरे पिता वैद्य हूँ, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं; भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं; जैसे पशु (अपने बाड़े में) रहते हैं’’ इस युग में एक -विवाह प्रथा प्रचलित थी। बालविवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह के लिए वरण की स्वतंत्रता का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे बेटे (देवर) से विवाह कर सकती थी । पिता की संपत्ति साधारणत: उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी। किंतु यदि कोई पुत्रि अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होती थी तब यह संपत्ति उसे प्राप्त होती थी । ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति समानजनक थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, प्राय: 1६-1७ वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पदा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हालांकि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अपाला, लोपासुद्र, शिवधारा, जोगी आदि नारियों के मन्त्र प्रज्ञा होकर ऋषिपद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। अन्व सभा व समिति में उन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं रहा।पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति से वंचित किया जाने लगा तथा कई बार तो पुत्रियों के जन्म को भी हतोत्साहित किया गया। लोम मिट्टी एवं घास फूस

से बने मकानों में रहते थे। ऋग्वेदकालीन संस्कृति *रुछ - ङुरुछइछ्छ् धी। नगरीकरण ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी।वैदिककालीन यज्ञ साहित्य 1.कल्पसूत्र : विधि एवं नियमों का प्रतिपादन।2.श्रीसूत्र: यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि-विधानों की व्याख्या। ३.शुक्लसूत्र : यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम जिसमें भारतीय ज्यामिति अपने प्रांमथिक रूप दिखाई देती है।4.धर्मसूत्र : सामाजिक-धार्मिक कानून तथा आचार संहिता। 5.ग्रह सूत्र : मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य। वैदिक काल में आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जन-जीवन मुख्यत: कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था । गायें, भेड़-बकरियाँ, और रथ, कुत्ते, भैंसे आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाये जाते थे। कृषि में खाद का भी प्रयोग किया जाता था,ऐसे प्रमाण मिले हैं । ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से खव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य में दस प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बर्दंगीरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। देह विशेष रूप से उल्लेखनीय है की ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल तंबे का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस् कहा जाता था। बाद में लोहा प्रचलन में आया जिसे श्याम अयस् कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य-व्यापार होता था और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। लेन-देन में वस्तु-विनिमय

सावन मास का महत्व एवं शिव की शरण

सावन मास को मासोत्तम मास कहा जाता है।सावन मास अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया संदेश दिखाना। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। इस माह की प्रसिद्ध लिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। शास्त्रों में सावन के महत्त्व पर विस्तारपूर्वक उल्लेख मिलता है। श्रवण नक्षत्र तथा और सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। इस मास का प्रत्येक दिन पूर्णता लिए हुए होता है। धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें इस माह में दिखाई देता है। इसका हर दिन धर्म और पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण रहता

लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जल्दबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है । इसे अर्क केवल देश की संसद नया क्रांनुन बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए क्रांनुन बनानी रहीं हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध । इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अर्थों तक भी है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को शीर्ष अदालत या के फैसला अच्छा नहीं लगता, ये कहते हैं कि अदालतों को अजा-अजजा के वर्गीकरण का ही संविधान विशेषज्ञ होना नहीं है। वे राजनीतिक दृष्टि से सोचते है। जिस दिन उनका बहुमत संसद में हो जाएगा,ये शीर्ष अदालत का फैसला बदलने या बदलवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिलहाल तो शीर्ष अदालत के इस फैसले से कहीं खुरशी,कहीं गम का माहौल है। ऐसा होता है । जैसे श्रीधरज्य जन्मभूमि के विवाद में आये इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हुआ है।

आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल जो या दलों को राजनीति सीखने वाले संघ ,अपनी सुविधानुसार रंग बदलते आये हैं। जो आरणएसए कभी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है वो ही संघ आरक्षण का समर्थन करने लगता है। यही हाल सत्तारूढ भाजपा और अन्य दलों का है। इसलिए कम से कम मैं तो शीर्ष अदालत के फैसले से मुतमईन हूँ मैं जानता हूँ की शीर्ष अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी राजनितिक दल और नैकरशाही बीच का कोई रास्ता निकल कर अपना सड्डू सीधा करने की कोशिश जरूर करेगा। ये उनका काम है। अदालत ने अपना काम किया है। आरक्षण की मलाई और छाछ को लेकर ये द्वन्द भी उत्पान ही सनातन हो चुका है जिनकी सनातन हमारी आरक्षण विरोधी और समर्थक राजनीति । इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी।(लेखक राकेश अचल / ईएमएस)

है। देवों के देव शिव की भक्ति के लिये सावन मास का विशेष महत्व है।शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं।इसलिए यह समय भक्तों और साधु-संतों सभी के लिए अमूल्य होता है।इस समय सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं।इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं और वे समाज उपेक्षितों, भक्तों एवं पीड़ितों की सहायता करते हैं।

सावन मास की अनेकानेक विशेषताएँ एवं आलौकिकाएँ हैं।मनीषियों का कहना है कि समुद्र मंथन भी श्रावण मास में ही हुआ। इस मंथन से 14 प्रकार के तत्व निकले। उसमें एक कालकूट पर्व भी निकला, उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्माण्ड जलने लगा। इस संकट से ब्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुँचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे, तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरूद्ध कर लिया। इस प्रकार इनका भगवान नील कंठ पड़।इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव को जहोर के संताप से बचाने के लिए उन्हें गंगाजल अर्पित किया।इसके बाद से ही शिव भक्त सावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ज्योतिर्लिगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्रमेष यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है।इन दिनों में अनेक प्रकार से शिवरत्न का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न-भिन्न रूपों की प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दूध अभिषेक एवं घृत से आभिषेक करने पर योगे संतान की प्राप्ति होती है।इंख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुशीदक से समस्त व्याधि शान्त होती है। दधि से पशु धन की प्राप्ति होती है और शदध से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार, परमकू ऋषि के पुत्र मत्स्यकण्डेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही धीर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इस महीने में गयत्री मंत्र, महासूक्तियुग मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शूभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है और जीवन रक्षक माना गया है। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण है यही है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अमृत्य और जलाभिषेक से किया गया

था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भू-लोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। भगवान शिवशंकर करोड़ों सूर्य के समान दीर्घमान हैं। जिनके ललाट पर चन्द्रमा शोभायमान है। नीले कण्ठ वाले, अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं। तीन नेत्रों वाले यह शिव, काल के भी काल महाकाल हैं। कमल के समान सुन्दर नयनों वाले अक्षमाला और जिशूल धारण करने वाले अक्षर-पुरुष हैं। यदि क्रोडित हो जाएं तो त्रिलोक को भस्म करने के शक्ति रखते हैं और यदि किसी पर दया कर दें तो त्रिलोक का स्वामी भी बना सकते हैं। यह भयावह भव सागर पर कराने वाले समर्थ प्रभु हैं। भोले नाथ बहुत ही सरल स्वभाव, सर्वव्यापी और भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनके सामने मानव क्या दानव भी वरदान मांगने आये तो उसे भी शूँह मांगा वरदान देने में वे पीछे नहीं हटते हैं।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनयासाय ही है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शान्तिस्वरूप पुरुषोत्तम शिव की भक्ति और वंदना का ही परिणाम है कि व्यक्ति अपनी प्रशान्तियों, असाध्य बीमारियों से उपरकर स्वस्थ बन जाता है, अपने भौतिक जीवन में हर कामनाओं को पूर्ण होने हुए देखाता है। वस्तुत: अपने विरोधियों एवं शत्रुओं को मित्रवत बना लेता है। सच्च्ची शिवभक्ति है। जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है उन्हें शिव गले लगाते हैं। तभी तो भक्त भगवान शिव की शरण आकर निश्चित हो जाता है, तभी तो अकृत सर्प उनके गले का हार है। अधम भूत-पिशाच शिव के साथी एवं गण हैं। शिव सच्चे पतित पावन हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण देवताओं के अलावा दानव भी शिव का आदर करते हैं और भक्ति करते हैं। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, शंकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। ऐसे पालक ऋदेव की शरण में भक्त स्वयं को निश्चिंत, सुखी, समृद्ध महसूस करता है।

करते हुए अपने जीवन को सार्थक मानना हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को बहुत फल देने वाले हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। जो अनुपम ऐश्वर्यशाली होते हुए भी गृजचर्मधारि हैं, अर्ध शरीर में पत्नी को धारणा करने पर भी सांसारिक विषयों से मन को विरक्त किए हुए हैं और यतियों में अग्रगण्य हैं, जो अपने अह रूपों से संपूर्ण जगत का पालन करते हुए ईश्वरमयपुरुष नहीं हैं, निराभिमानी हैं,

की प्रणाली प्रचलित थी। साहूकारी, यानी ब्याज पर धन उधार देने की प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि ने पशुपालन की जगह मुख्य पेशे का स्थान ग्रहण कर लिया। वैदिक काल में धर्म व दर्शन ऋग्वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में मन्दिर अथवा मूर्तिपूजा का उल्लेख नहीं है। तथापि कर्मकाण्ड का विशेष महत्त्व था। देवतों की आराधना मुख्यत: स्तुतिपाठ एवं यज्ञाहुति से की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1। पृथ्वी – स्थानीय देवगण, 2.अंतरिक्ष-स्थानीय देवगण और ३.वायु -स्थानीय देवगण । पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं; इंद्र, अपाम्-नपात, रुद्र, वायु-वात, पर्जन्य और आप: द्वितीय श्रेणी के देवगण हैं; और वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषन्, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण को इन देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वे बाकी सबसे बड़े माने गए हैं। इंद्र का स्थान सभी देवताओं में सर्वोच्च था। मुख्यतः यह युद्ध के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के २5० सूत्र अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। अग्नि और सोम भी लोकप्रिय देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे जबकि अग्नि को पृथ्वी और स्वयं के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता था । वे मनुष्य द्वारा दिए गए चढ़ावों को देवता तक ले जाने का कार्य करते थे। इसके अलावा, अग्नि ही ऐसे एकमात्र देवता थे जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान थे । देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है किंतु उन्हे देवता नहीं देवता गाने गये अंश (लेखक – संजय गोस्वामी/ईएमएस)

सम्पादकीय खेल-समाचार

पेरिस ओलंपिक : धीरज-अंकिता

की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची

पेरिस (ईएमएस)। भारत के धीरज बोम्पादेवरा और अंकिता भक्त की जोड़ी पेरिस ओलंपिक खेलों की मिश्रित तीरंदाजी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है। धीरज और अंकिता ने अंतिम ८ में स्नैक को ३7- ३६ से हराया। धीरज और अंकिता के पास अब पदक जीतने का अच्छा अवसर है। अब सेमीफाइनल में इनका सामना दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होगा।

भारतीय जोड़ी ने पहले सेट को 37-36 से जीतने के बाद दूसरा सेट 3८-38 से बराबर किया. वहीं तीसरे सेट में अंकिता के दोनों निशाने 1० अंक पर लगे जिससे भारत ने 12वीं वरीया प्राप्त जोड़ी के खिलाफ ३8-३7 से मैच जीत लिया। इस तरह भारत ने क्वार्टर फाइनल का सफर तय किया। इस जोड़ी ने पहला सेट ३8-37 से अपने नाम किया। भारत ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर अंतिम ८ में एंटी मारी धी!

पेरिस ओलंपिक : भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ग्युच मैच में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में ५2 साल बाद हराया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के एक गोनांक मुकाबले में ३-२ से हराया। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिख ओलंपिक १९7२ में हराया था।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीमों पेरिस ओलंपिक के ग्युच बी में हैं। वहीं बेल्जियम इस ग्युच में अपने चारों मैच जीतकर पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 9 अंक के साथ दूसरे और भारत 7 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। वहीं अर्जेंटीना के भी 7 अंक हैं. लेकिन वह गोल अंतर में पीछे होने के चलते चौथे नंबर पर है। आयरलैंड और न्यूजीलैंड अपने चारों मैच हारा है और खिताबी रंस से बाहर हैं।

भारत ने इस मैच में तेज शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ने 1०वें मिनट में जोरदार अटैक किया। उसे पेनाल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन भारत ने गोल नहीं होने दिया।

भारत ने पहले क्वार्टर के 1२ वें मिनट में गोल किया। यह मैच का पहला गोल अभिषेक ने ललित के शॉट पर रिवाउंड पर किया। भारत ने इसके साथ ही 1-० की बढ़त बना ली है।

भारत ने 13वें मिनट में एक गोल और किया। ये गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। पहले क्वार्टर का खेल खत्म होने पर भारत २-० से आगे रहा। यह पेरिस ओलंपिक में पहला मौका है, जब भारत ने किसी टीम के खिलाफ पहले क्वार्टर में दो गोल किए हैं।ऑस्ट्रेलिया ने 19वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया. हालांकि, वह गोल नहीं कर सका है।

ऑस्ट्रेलिया ने 25वें मिनट में गोल कर दिया है। उसने इस गोल के साथ ही भारत की बहुत कम कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह गोल वॉयस केग ने किया। मैच का दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ तो भारत २-1 से आगे रहा।

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत भी तेज हुई है। पहले ही मिनट में ऑस्ट्रेलिया बॉल लेकर भारतीय टीम में पहुंचा, पर गोल नहीं कर पाया. इसके एक मिनट बाद ही भारत ने पेनाल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पेनाल्टी कॉर्नर को बचाने में नाती की। हरमनप्रीत का शॉट ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर के रंप से लगा और भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। हरमनप्रीत ने इस पर गोल कर भारत को ३-1 से आगे कर दिया। यह हरमनप्रीत सिंह का पेरिस ओलंपिक में छठा गोल है। ऑस्ट्रेलिया के गोवर्स ने अंतिम क्वार्टर में एक गोल किया पर भारत ने मुकाबला ३-२ से जीत लिया।

पेरिस ओलंपिक : मनु २5 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची,आज जीत सकती हैं तीसरा पदक

पेरिस (ईएमएस)। भारत की महिला निशानेबाज मनु भक्तर अब पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक के करीब पहुंच गयी हैं। मनु महिलाओं की २5 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गयी हैं। ऐसे में उनके पास शनिवार को अपने पदकों की हैटिक पूरी करने का अच्छा अवसर है।

मनु ने रैपिड राउंड की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए २५ मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन रैपिड राउंड में दूसरा स्थान हासिल किया। मनु ने सीरीज २ में कुल 9८ का स्कोर बनाया। वहीं पहली सीरीज में उन्होंने 1०0 का स्कोर किया था।

मनु ने प्रेसिजन में पहली सीरीज में कुल ९7 का स्कोर किया है। वहीं दूसरी सीरीज में 9८ स्कोर कर शीर्ष 8 में जगह के प्रवास किया। इसके बाद तीसरी सीरीज में 99 अंक हासिल करते हुए कुल २94 अंकों के साथ मनु तीसरे स्थान पर रही। इस भारतीय निशानेबाज ने तीसरे और फाइनल सीरीज में 97 अंक हासिल किए। 8 शॉट में 1० अंक जबकि दो में 8 और 9 अंक हासिल किए जबकि ईशा को 5.81 अंक लेकर 1० वां स्थान मिला। मनु ने इससे पहले 1० मीटर एयर पिस्टल में पहला कांस्य पदक जीता था और इसके बाद वो 1० मीटर एयर पिस्टल के फिक्सड इवेंट में सारबजोत सिंह के साथ मिलकर एक और कांस्य जीतने में सफल रहीं। वहीं अब २5 मीटर इवेंट में वो फिर पदक जीत सकती हैं।

भारतीय संस्कृति की भांति शिव परिवार में भी समन्वयकारी गुणी वृष्टिगर्भ होते हैं। वहीं जनजात विरोधी स्वभाव के प्राणी भी शिव के प्रताप से परमपर प्रेम्पूर्वक निरास करते हैं। शंकर का वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का वाहन चूहा है तो शिव के गले का हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मयूर है। ये सभी परंपरा वैरभाव को छोड़ कर सौहार्द एवं सद्भाव से रहते हैं। शिव परिवार का यह आदर्श रूप प्रत्येक परिवार एवं समाज के लिये प्रेरक है। भगवान शिव जन-जन की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वशूर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चंद्रमा के समान शुभवर्णा लेते हैं, भक्तों को में पार्वती, भस्मक पर गंगा, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभित हैं। ये सभी शिव के लक्षण हैं। जो जगत का भरण करते हैं पर स्वयं भिक्षु हैं, जो सब प्राणियों को निवास देते हैं परंतु स्वयं गृहहीन हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बहुत मान देते हैं। क्षीर समुद्र का दान करने वाले शिव अपने भक्तों द्वारा दिए गए दुग्ध बिंदु को ग्रहण कर लेते हैं। तीन नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अग्नि को धारण करते हुए भी आप भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों के उत्पत्ति स्थान होते हुए भी अज्ञानी भक्तों की वाणियों (स्तुतियों) को सुन लेते हैं। विनीतों, भक्तों के आग्रह से आप क्या-क्या नहीं करते। (लेखक - ललित गर्ग/ ईएमएस)

	1	2	3	4	
5		6	7	8	</

अहमदाबाद से थराद के बीच बनेगा छह लेन का हाईस्पीड रोड कॉरिडोर, मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला

अहमदाबाद,दि.02 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें कैबिनेट ने 50 हजार करोड़ से अधिक की लागत से 9३6 किलोमीटर की आठ महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैशाव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी. वैशाव ने कहा, 'आज (2 अगस्त) को देश भर में लांजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करते हुए 50 हजार करोड़ से अधिक की लागत से 9३6 किमी की आठ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-

स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह राष्ट्रीय उच्च-स्पीड कॉरिडोर अधिक उपयोगी साबित होगा।' थराद और अहमदाबाद के बीच कुल 214 किमी लंबा राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस हाईवे की कुल लागत 1०,534 करोड़ रुपये होगी. हाई स्पीड रोड कॉरिडोर से डिसा, पालनपुर, मेहसाणा को फायदा होगा. एसईजेड क्षेत्रों, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरों में अच्छी कनेक्टिविटी होगी। सरकार का दावा है कि कॉरिडोर के निर्माण के बाद माल परिवहन में लगने वाला समय पांच से छह घंटे से घटकर तीन से

विभिन्न दुर्घटना पीड़ितों के लिए कांग्रेस की 9 अगस्त को मोरबी से शुरू होगी न्याय यात्रा

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस ने न्याय यात्रा का आयोजन किया है और इसकी शुरुआत आगामी 9 अगस्त को मोरबी से होगी। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में एक घड़ा होगा, जिसे 'पाप का घड़ा' नाम दिया जाएगा। इस घड़े में लोग भाजपा सरकार के खिलाफ शिकायत पत्र डाल सकेंगे। यह न्याय यात्रा मोरबी में बिज दुर्घटनास्थल से शुरू होगी। मोरबी से न्याय यात्रा टंकारा और गौरदळ

जाएगी और वहां से 11 अगस्त को राजकोट पहुंचेगी। राजकोट में टीआरपी गेम जोन घटना को लेकर संवेदना सभा होगी। दूसरे दिन राजकोट के अलग अलग इलाकों में न्याय यात्रा भ्रमण करेगी और 13 अगस्त को आगे बढ़ जाएगी। 15 अगस्त को सुरेन्द्र में ध्वजारोहण होगा और उसके बाद न्याय यात्रा अहमदाबाद पहुंचेगी। 9 अगस्त से शुरू होने की कांग्रेस की यात्रा के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा।

नकली आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री पर रेड, 11.60 लाख की संदिग्ध सामग्री जब्त

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्य के खाद्य एवं औषधि विनियमन विभाग ने सुरत के ओलंपाड में बरौ लाइसेंस के आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन करने वाले फैक्ट्री पर छापेमारी कर र. 11.60 लाख की संदिग्ध सामग्री जब्त कर ली। खाद्य एवं औषधि विनियमन आयुक्त डॉ. एचजी कोशिया के मुताबिक सुरत के ऑलपैड में राज्य खाद्य एवं औषधि नि्यामक प्राधिकरण द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छाप मारा गया। जहां विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे क्वाथ, चूर्ण और जोड़ राहत तेल का उत्पादन किया जा रहा था। पूछताछ में पता चला कि जोगी हबल प्रड्रवेट लि. को सील कर दिया गया है। क्वाँकि बिना लाइसेंस या परमिट प्राप्त

किए इन दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा था। कंपनी के मालिक नीलेश जोगल और डॉ. देवांगी जोगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर लगभग रु. 2 लाख मूल्य का कच्चा माल, रु. 7० हजार का पैकिंग मटेरियल, रु. 2.90 लाख मूल्य का तैयार उत्पाद और रु. क्वाथ, चूर्ण और तेल बनाने वाली मशीनरी की कुल कीमत 6 लाख रुपये के आसपास है। 11.60 लाख का माल जब्त कर लिया गया। डॉ. एचजी कोशिया के मुताबिक खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा संदिग्ध आयुर्वेदिक औषधियों के पांच सैंपल और फैक्ट्री में उत्पादित कच्चे माल के दस सैंपल समेत कुल 15 सैंपल की जांच के लिए सरकारी वकीलरा भेजे गए हैं। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

कांकरिया लेकफ्रंट:सुविधाओं के नाम पर करोड़ों नागरिकों का उपयोग होगा और राजस्व शासकों के पास जाएगा

अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में करोड़ों रुपये की लागत से बने खेल परिसरों की तरह, चौकाने वाली जानकारी सामने आई है कि अब कांकरिया लेक फ्रंट परिसर, जो शहर का गहना है, को पट्टे पर दे दिया गया है। दो साल के लिए संचालन और रखरखाव के लिए परिसर उपलब्ध कराने के लिए बोलीदाताओं से प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं। उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि जनता द्वारा कों के रूप में चुकाए गए करोड़ों रुपए की लागत से यहां बनाई गई सुविधाओं से शासक पैसा कमाएंगे। प्रारंभ में, एजेंसी को दो वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बीच एजेंसी को विभिन्न 60 स्थानों पर मैन पावर उपलब्ध कराना है. मून. केंद्र द्वारा आमंत्रित प्रस्तावों के अनुरोध में किड्स सिटी और नॉक्टर्नल चिड़ियाघर के अलावा ऐतिहासिक कांकरिया झील परिसर भी शामिल है।

आमंत्रित की गई हैं। संचालन एवं रखरखाव का कार्य दो वर्ष तक प्रदान किया जायेगा। दो साल के बाद, यदि ऑपरेटर का प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो सिस्टम कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाने पर विचार करेगा।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिणी क्षेत्र में कांकरिया झील परिसर का विकास वर्ष 2०08-09 में किया गया था और इसे कांकरिया लेकफ्रंट के रूप में विकसित किया गया था। कांकरिया चिड़ियाघर के अलावा, झील के किनारे के परिसर में रात्रिचर चिड़िया घर, बालवाटिका और बच्चों के लिए एक खिलाती ट्रेन जैसे आकर्षण जोड़े गए थे। हर साल 25 से 31 दिसंबर तक अहमदाबाद नगर पालिका में कांकरिया कार्निवल भी आयोजित किया जाता है। निगम द्वारा आयोजित किया गया।

लेकफ्रंट परिसर में स्थित दस टिकट काउंटरों के अलावा, किड्स सिटी के 30 प्वाइंट, प्रोटोकॉल सेवा के तीन प्वाइंट, दो बस सहायक, दो पर्यवेक्षण प्वाइंट, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर समेत कुल 48 और नॉक्टर्नल जू के कुल 12 सर्विस प्वाइंट हैं। मिल गए हैं, किड्स सिटी के लिए अनुबंध पीपीपी आधार पर किए जाएंगे। इस बात की घोषणा और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बीच एजेंसी को विभिन्न 60 स्थानों पर मैन पावर उपलब्ध कराना है. मून. केंद्र द्वारा आमंत्रित प्रस्तावों के अनुरोध में किड्स सिटी और नॉक्टर्नल चिड़ियाघर के अलावा ऐतिहासिक कांकरिया झील परिसर भी शामिल है।

इस मामले में अहमदाबाद नगर पालिका की मनोरंजन समिति के अध्यक्ष जयेश त्रिवेदी ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है. बालवाटिका का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों का नवीनीकरण भी चरणों में किया जाएगा। पूरे परिसर को पीपीपी आधार पर चलाने की अनुमति देने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, चेयर्समैन के इस बयान के विपरीत तथ्य यह है कि नगर पालिका की वेबसाइट पर इस तरह का प्रस्ताव मांगा गया है।

ऐसे दिन को व्यवस्थित करने के लिए एक या दो गतिविधियों पर्याप्त हो सकती हैं। आयुक्त दक्षिण क्षेत्र के उपायुक्त देव चौधरी, जो कांकरिया लेक फ्रंट के प्रभारी हैं, ने कहा है कि पूरे परिसर को संचालन

अहमदाबाद में ईवी शोरूम में लगी आग, बैटरी फटी, आसपास की दुकानें खाली कराई गईं

अहमदाबाद,दि.02 अहमदाबाद में आग: समय-समय पर इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी फटने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज अहमदाबाद शहर के असारवा इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम में आग लगने की घटना हो गई. आग लगने पर शोरूम में मौजूद बैटरियां फटने लगीं। जिससे शोरूम का शीशा भी टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानों को खाली कराया।

फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया. जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन शोरूम में पड़ा सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक स्तर पर पता चला है कि किसी अज्ञात कारण से बैटरी में आग लगी है।

जिससे अन्य बैटरियां में ब्लास्ट होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण हर तरफ धुए का गुबार देखा गया। आसपास के इलाके से लोगों की भीड़ जमा हो गयी.

36% वार्षिक ब्याज पर 20 लाख रुपये और घर बेच दिया:सूदखोर के खिलाफ शिकायत

जब पैसे का हिसाब हो गया तो शिकायतकर्ता को मकान वापस करने पर जान से मारने की धमकी दी गई अहमदाबाद, 2 अगस्त, शहर में रहने वाले एक शख्स को बिजनेस के काम के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने मकान के लिए एक शख्स से 36 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 20 लाख रुपये लिए, जिसमें से ब्याज के रूप में पांच लाख काटकर सूदखोर ने केवल 15 लाख ही दिए। इस पर नौ लाख का ब्याज भी लगाया गया। फिर किसी वजह से ब्याज

चुकाने में देरी होने पर अहंकारी सूदखोर ने मकान किसी और को बेच दिया. इस संबंध में वासणा पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है. योगिताबेन वाजेता अपने बच्चों के साथ शहर के वासना स्थित सहजा सफायर में रहती हैं। जबकि उसका पति कुवैत में नौकरी करता है. साल 2020 में कोरोना के समय योगिताबेन के पति अनिलभाई को फर्निचर बिजनेस में घाटा होने के कारण पैसों की जरूरत थी. इसलिए उन्होंने वासना में अपने एक घर पर ऋण के लिए आवेदन

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया

रेलवेसुरक्षा बल ने लापरवाही भरे व्यवहार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, पब्लिसिटी के लिए रेलवे ट्रैक के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरों में डालने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। ट्रिप्टर पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद तत्काल जांच की गई। अपराधी, गुलजार शेख ने अपने यूट्यूब चैनल पर 250 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उसकी ऑन-कैमरा गतिविधियों ने रेलवे सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा किया। शेख की यूट्यूब प्रोफाइल और सोशल मीडिया उपस्थिति के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से, आरपीएफ कंचाहार, उत्तर रेलवे ने 01/०8/2०24 को रेलवे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया। उसी दिन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने श्री गुलजार शेख, पुत्र सैयद अहमद को खांडरौली गांव, सोरांव (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश में उनके निवास से गिरफ्तार

किया। तत्पर और प्रभावी कार्रवाई के लिए आरपीएफ, लखनऊ मंडल की सहायता करते हुए, आरपीएफ महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि श्री गुलजार शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारतीय रेलवे की सुरक्षा से समझौता करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगी। उन्होंने रेलवे सुरक्षा के महत्व को दोहराया और जनता को आश्वासन दिया कि रेलवे की सुरक्षा को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ संकल्प और सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ सामना किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

आरपीएफ महानिदेशक ने जनता से ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने और रेलवे सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी कृत्य के बारे में सूचित करने की भी अपील की। इस प्रकार की सूचना पर सुरक्षा बल या रेल मदद को टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से दी जा सकती है।

यूनिकॉमर्स ईसॉल्यूशंस लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 06 अगस्त, 2024 को खुलेगा

अहमदाबाद, 02 अगस्त, 2024: यूनिकॉमर्स ईसॉल्यूशंस लिमिटेड (यूनिकॉमर्स या कंपनी), का आईपीओ ०6 अगस्त, 2024 (उअॉफरड) को खुलेगा। इक्विटी शेयरों के कुल ऑफर आकार में 25,6०8,512 इक्विटी शेयरों (बिक्री के लिए प्रस्ताव) तक की ऑफर फार सेल शामिल है, जिनमें से 9,438,272 इक्विटी शेयरों को ऐसवेक्टर लिमिटेड (जिसे पहले स्पेन्डील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (उपमोटर सोलिंग शेयरधारकों) द्वारा और एसबी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड द्वारा 16,170,240 इक्विटी शेयर ("निवेशक बिक्री शेयरधारक", प्रमोटर बिक्री शेयरधारक, "विक्रय शेयरधारक") के साथ बिक्री के लिए ऑफर किया जा रहा है। आईआईएफएएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और सीएनएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर करने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई बीएसई के साथ, स्टॉक एक्सचेंज) पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का लाभ प्राप्त करना है। (ऑफर का उद्देश्य)। एनएसई ऑफर के संबंध में नामित स्टॉक एक्सचेंज है।

यह इक्विटी शेयर कंपनी द्वारा दायर 3० जुलाई 2०24 के रेड हेरिंग प्रसेक्यूटिव (आरएफपी) के माध्यम से नई दिल्ली में कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, भारतीय प्रेषित और विनियम बोर्ड (उसेबीट) के साथ पेश किए जा रहे हैं।

हेस्टर बायोसाइंसिस लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही में समेकित राजस्व रु. 82.27 करोड़ हुआ

अहमदाबाद: 02 अगस्त 2024:वैक्सिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने वाली भारत की अग्रणी एनिमल हेल्थ केयर कंपनियों में से एकहेस्टर बायोसाइंसिस लिमिटेडने वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही में समेकित राजस्व की सूचना दी है। जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान परिचालन से लाभ रु. 19.74 करोड़ दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2024 के पहली तिमाही में रु. 16.88 करोड़ से 17% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2024 के पहली तिमाही में रु. 6.71 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 9% बढ़कर रु. 7.49 करोड़ हुआ है। एनिमल हेल्थ केयर डिविजन: वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही में एनिमल हेल्थ केयर डिविजन ने निम्नलिखित के कारण से 41% की वृद्धि दर्ज की: डेयरी क्षेत्र में मजबूत घरेलू स्थान।

(यहां इलाकों बाद परिभाषित) सहित) विवरण प्रदान करके बर्नांक राशि (एएसबीए) प्राक्रिया समाधान एप्लिकेशन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है।) जिसमें संबंधित बोली राशि अस्वा द्वारा, या ऑफर में भाग लेने के लिए लागू यूपीआई तंत्र के तहत अवरूढ़ कर दी जाएगी।

दीपकमल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया

अहमदाबाद स्थित ऑटोमोबाइल डीलर ने अहमदाबाद में एक लाख से अधिक ऑटो-रिक्शा बेचे हैं, जिससे एक लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है।

अहमदाबाद स्थित ऑटोमोबाइल डीलर ने अहमदाबाद में एक लाख से अधिक ऑटो-रिक्शा बेचे हैं, जिससे एक लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है।